




GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार  
**Directorate of Secondary Education**  
**माध्यमिक शिक्षा निदेशालय**



Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253

कार्यालय: शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253

e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

सेवा में

1. निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 हरियाणा गुडगांव।
2. सभी जिला शिक्षा अधिकारी हरियाणा राज्य।
3. सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी हरियाणा राज्य।
4. सभी खण्ड शिक्षा अधिकारी हरियाणा राज्य।
5. सभी प्राचार्य, डाईट/बाईट हरियाणा राज्य।

यादी क्रमांक 2/6-2016 एच0आर0एम0ई0 (4)

दिनांक, पंचकुला :- 17/11/19

विषय:- क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत सहायक/जूनियर ऑडिटर/सीनियर स्कैल स्टैनोग्राफर से उप-अधीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु मामले मांगने बारे।

\*\*\*\*\*

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

निदेशालय के ध्यान में आया है कि क्षेत्रीय कार्यालयों में उप-अधीक्षक के कुछ पद रिक्त हैं, अतः इस बारे आपको निर्देश दिए जाते हैं कि अपने-अपने जिले के अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत सहायक/जूनियर आडिटर/सीनियर स्कैल स्टैनोग्राफर के पदोन्नति मामले जिनका वरिष्ठता क्रमांक 150 से 230 तक के पदोन्नति मामले संलग्न प्रोफार्मा में भरकर पूर्ण निजी मिसल व जांच शिकायत लंबित न होने का प्रमाण पत्र सहित दिनांक 4.2.2019 तक हर अवस्था में निदेशालय में भिजवाएं।

उप-अधीक्षक के पद पर पदोन्नति करने हेतु सेवानियम 1983 के अनुसार निम्नलिखित प्रावधान है:-

1. Five years service as an Assistant including that of Assistant Superintendent or,
2. Five years service as Stenographer including that of an Assistant Superintendent if any, which should also include two years as Assistant or;
3. Five years as Junior Auditor in the Service including that of Assistant Superintendent.

इसके अलावा यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त अंकित सहायक/जूनियर आडिटर/सीनियर स्कैल स्टैनोग्राफर से वरिष्ठ कर्मचारियों का उप-अधीक्षक के पद पर पदोन्नति का मामला उनके कार्यालय में लंबित है तो वह भी निदेशालय को पूर्ण उपरोक्त अंकित रिकॉर्ड/टिप्पणी सहित व पहले पदोन्नति न लेने का कारण भी स्पष्ट किया जाए। मामले में यह भी सुनिश्चित करें कि उक्त वरिष्ठता सूची अनुसार मांगे गए मामलों में से यदि किसी कर्मचारी का मामला लंबित रहता है तो उसका कारण स्पष्ट रूप से लिखें कि उक्त कर्मचारी पदोन्नति लेना चाहता है या नहीं या अन्य कोई कारण है। मामले में यदि कोई विलंब किया जाता है तो उसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा यह



भी अंकित किया जाता है कि दिनांक 4.2.2019 के उपरान्त यदि कोई केस निदेशालय में प्राप्त होता है तो उसका केस पदोन्नति हेतु विचारा नहीं जायेगा।

अधीक्षक एच0आर0एम0ई0  
कृते: महानिदेशक सकैण्डरी शिक्षा हरियाणा  
पंचकुला।

पृष्ठांकन क्रमांक सम

दिनांक, पंचकुला

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. श्री देवेन्द्र खुन्ना, प्रधान, हरियाणा एजूकेशन मिनिस्ट्रियल स्टाँफ एसोसिएशन रजि0 नं0 1764, रा0मा0वि0 लखमीर वाला (जीन्द)।
2. श्री संदीप सांगवान, राज्य प्रधान, हरियाणा एजूकेशन मिनिस्ट्रियल स्टाँफ एसोसिएशन, हेमसा, (सब-आफसिज, रजि0 नं0 1764) सम्बंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, रा0क0वरि0मा0वि0 कैरू (भिवानी)।

अधीक्षक एच0आर0एम0ई0  
कृते: महानिदेशक सकैण्डरी शिक्षा हरियाणा  
पंचकुला।



## 1. पदोन्नति प्रोफार्मा

वरिष्ठता क्रमांक दिनांक 01.08.2015 की वरिष्ठता सूची अनुसार	कर्मचारी का नाम	पद संज्ञा	वर्तमान कार्यस्थान	कर्मचारी की श्रेणी	प्रथम नियमित नियुक्ति तिथि	वर्तमान पद पर पदोन्नति तिथि	अन्य टिप्पणी

- कर्मचारी के विरुद्ध किसी प्रकार की जांच शिकायत लम्बित न होने का प्रमाण पत्र सलंगन होना चाहिए।
- कर्मचारी के विरुद्ध किसी प्रकार की न्यायालय एवं पुलिस कार्यावाही इत्यादि लम्बित न होने बारे प्रमाण पत्र सलंगन होना चाहिए।
- कर्मचारी के विरुद्ध नियम-7 व नियम-8 की कार्यवाही लम्बित न होने बारे प्रमाण पत्र सलंगन होना चाहिए।
- कर्मचारी का पिछले 10 वर्षों का सेवारिकार्ड अच्छे/बहुत अच्छे/उत्कृष्ट वर्ग का तथा कर्मचारी का चाल-चलन एवं कार्य सन्तोष जनक होना चाहिए।
- कर्मचारी की पूर्ण निजी मिसल सलंगन होनी चाहिए।
- कर्मचारी पदोन्नति सेवानियम 1983 की शर्तों को पूर्ण करता हो।

आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर

निदेशक एस0सी0ई0आर0टी/  
जिला शिक्षा अधिकारी/  
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी

